

औद्योगिकी ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु ADEETIE योजना

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय वदियुत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी- BEE) के सहयोग से "उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता (ADEETIE)" योजना की शुरुआत की है।

ADEETIE योजना:

- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य भारत के 14 लाख 22 हजार 222 MSME क्षेत्र में उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने की गति में तेजी लाना है।
 - यह MSMEs को **30-50% तक ऊर्जा खपत कम करने**, क्षमता बढ़ाने तथा **हरति ऊर्जा गलियारों (Green Energy Corridors)** में योगदान देने में मदद कर सकती है।
 - यह योजना **तीन वर्षों** (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28) के लिये लागू की जाएगी और इसमें **14 लाख 22 हजार 222 MSMEs**, जैसे **किसान, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और स्टील री-रोलिंग आदि**, को शामिल किया जाएगा।
- **मुख्य विशेषताएँ:** इस योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये ऋणों पर **5 प्रतिशत और मध्यम उद्यमों के लिये 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान** प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे ऊर्जा दक्षता (EE) परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता चाहने वाले MSMEs के लिये पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित होगा।
 - यह योजना 14 लाख 22 हजार 222 MSMEs, 14 लाख 22 हजार 222 MSMEs (IGEA), 14 लाख 22 हजार 222 MSMEs (DPR) और 14 लाख 22 हजार 222 MSMEs (Monitoring & Verification - M&V) के माध्यम से **समग्र सहायता (End-to-End Handholding)** प्रदान करती है।
 - **ADEETIE पोर्टल** को लाभार्थियों के लिये **वित्तीय प्रक्रिया को सुगम बनाने** हेतु लॉन्च किया गया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):

- इसकी स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत **मार्च 2002** में की गई थी।
- इसका उद्देश्य स्व-नियमन और बाजार सदिधांतों पर आधारित नीतियाँ और रणनीतियाँ विकसित करना है, जिसका लक्ष्य **भारतीय अर्थव्यवस्था** की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है।

और पढ़ें: MSME एवं ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना, भारत में औद्योगिकी उत्सर्जन में कमी के प्रयास